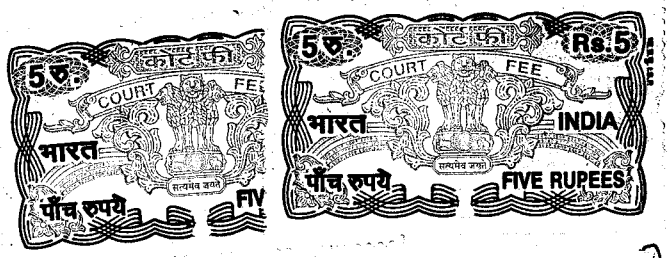

राजस्व मंडल कैम्प

<u>माननीय न्यायालय श्रीमान् ~~कलेक्टर~~ महोदय, ~~सागर~~, ~~जिला~~ –सागर म0प्र0</u>

नि0 /2979/ II/15

1. भुवानी पिता भगवानदास पटैल
2. रामलाल पिता भगवानदास पटैल
3. नर्मदा पिता भगवानदास पटैल

तीनों निवासी– मगरधा तहसील– गढ़ाकोटा , जिला–सागर म0प्र0

..........................रिव्हीजनकर्तागण

//विरूद्ध//

गोपाल पिता हरीराम काछी

निवासी– ग्राम मगरधा, तहसील– गढ़ाकोटा जिला–सागर म0प्र0

.....................................उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक– /15 तारीख पेशी–

आज दिनांक 26/8/15 को श्री मनीषा सोनी–अधि. द्वारा आज प्रस्तुत।

26/8/15

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1954</u>

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय गढ़ाकोटा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 15 अ/6 (अ) 14–15 गोपाल विरूद्ध भुवानी बगैरह में आलोच्य आदेश दिनांक 18/08/2015 से पीड़ित एवं असंतुष्ट होकर अनावेदक/पुनरीक्षणकर्तागण निम्न आधार पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यह कि, दिनांक 24/10/2014 में कार्यालय राजस्व निरीक्षक गढ़ाकोटा द्वारा आवेदक गोपाल पिता हरीराम काछी के मगरधा स्थित खसरा नं. 237 रकवा 0.77 हे0 के रकवा एवं नक्शा की पूर्ति हेतु प्रतिवेदन चाहा गया है, तथा उक्त रकवा से लगी हुई अनावेदक/रिव्हीजनकर्तागण भुवानी , रामलाल एवं नर्मदा प्रसाद तीनों के पिता भगवानदास पटैल की कृषि भूमि होने से दस्तावेजों सहित उपस्थिति की सूचना उक्त तीनों अनावेदकगण/<u>रिव्हीजनकर्तागण में से केवल भुवानी प्रसाद को दी गई थी अन्य पक्षकारों को नहीं इस तरह उक्त प्रकरण में शुरूआत से ही दूषित प्रक्रिया का अनुशरण</u> राजस्व निरीक्षक गढ़ाकोटा द्वारा किया गया तथा रामलाल एवं नर्मदा <u>प्रसाद की</u> कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई उनको अपना पक्ष रख<u>ने का अवसर दिया गया।</u>

Manisha

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–2979–दो / 2015 **जिला–सागर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से अधिवक्ता मनीष सोनी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि राजस्व निरीक्षक गढाकोट द्वारा भूमि कमांक–237 के रकवा एवं नक्शा की पूति हेतु अधीनस्थ पटवारी से प्रतिवेदन चाहा इसी भूमि से लगी हुई भूमि आवेदक की थी जो तीन भाई है जिनमें मात्र एक भाई भुवानी को सूचना दी गयी अन्य किसी को नहीं इस प्रकार कार्यवाही को दूषित होने का तर्क देते हुए यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि ख.नं.236 का सीमांकन कराये जाने हेतु विधिवत आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन करने हेतु विधिवत आदेश दिनांक–20.4.15 से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को आदेशित किया गया, किन्तु आज दिनांक तक सीमांकन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है । यह भी कहा गया कि दिनांक–18.8.15 को आवेदक की ओर से आदेश 16 नियम 2 सीपीसी का आवेदन खारिज किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु दिनांक–24.8.15 नियत की गयी । जबकि नियमानुसार पहले आवेदन का निराकरण करना चाहिए था । इसके अतिरिक्त वही तथ्य प्रस्तुत किए जो निगरानी मेंमो में अंकित है । जिन्हें यहां उल्लेखित नहीं किया जा रहा है किन्तु विचार में लिया गया है । उक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की विवादित आदेश पत्रिका दिनांक–18.8.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । जिसके अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित न कर अंतरिम आदेश पारित किया गया जो नियमित कार्यवाही की प्रकिया है । तहसीलदार के इस नियमित प्रकिया की कार्यवाही से किसी भी पक्ष के किसी भी प्रकार के हित प्रभावित हुए हो वर्तमान में ऐसी कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है । तहसीलदार के आदेश दिनांक–18.8.15 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण में तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पटवारी अभिलेख एवं पटवारी नक्शा के आधार पर विवादित भूमि के सरहदी कास्तकारों को सूचना देकर संहिता में निहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए 3 माह में आवेदित प्रतीक्षाधीन कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण का निराकरण करें इस निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । सदस्य	